ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-6* July- 2021
Innovation The Research Concept

महिला अपराधी – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Women Offenders: A Sociological Study

Paper Submission: 03/07/2021, Date of Acceptance: 14/07/2021, Date of Publication: 24/08/2021

दयाशंकर सिंह यादव
एसोसिएट प्रोफेसर,
समजाशास्त्र विभाग,
सकलडीहा पी.जी.कालेज,
सकलडीहा, चन्दौली,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

महिलाओं में पुरूषों की अपेक्षा अपराध बहुत कम पाया जाता है। भारत में प्रत्येक एक सौ अपराधियों में से अपराधी महिलाएँ केवल दो–तीन ही मिलती है प्रत्येंक वर्ष कारागारों में प्रवेषित 3/4 लाख अपराधियों में से 20–25 हजार के मध्य ही अपराधी महिलाएँ होती है 1990 में 14.17 लाख गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से केवल 24737 महिलाएँ थी। महिलाओं में पाया जाने वाला अपराध सांख्यिकीय दृष्टि से समाज के लिए कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न नहीं करता। यद्यपि पिछले कुछ वर्षो में भारत में महिलाओं में अपराध की दर बढती हुई मिलती है परन्तु अमरीका आदि जैसे देशों की तुलना में हमारे समाज में महिलाओं में अपराध बहुत कम है।

Crime is found to be much less among women than men. In India, out of every hundred criminals, criminals are women, only two-three are found. Every year out of 3/4 lakh criminals admitted to prisons, only between 20-25 thousand criminals are women. In 1990, out of 14.17 lakh arrested persons. Only 24737 were female. The crime found in women does not pose any serious problem to the society from the statistical point of view. Although the crime rate among women is increasing in India in the last few years, but in comparison to countries like America etc., crime among women in our society is very less.

मुख्य शब्द : अपराध, कारागार, सांख्यिकीय दृष्टि, लिंगीय भूमिका।
Crime Prisons, Statistically, Gender Role.

प्रस्तावना

अमरीका में 1990 में कुल अपराधों में से 83.9 प्रतिशत पुरूषों द्वारा तथा 16.1 प्रतिशत महिलाओं द्वारा किये गये थे। इंग्लैण्ड में पिछले सात वर्षो में महिलाओं में अपराध की दर दुगुनी हो गयी है तथा पष्चिमी जर्मनी में हर तीन अपराधियों में से दो पुरूष और एक महिला मिलती है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. पुरूषों और महिलाओं में अपराध में अन्तर के कारण
2. अपराध की प्रकृति जानना
3. अपराध के कारण जानना
4. पारिवारिक असमंजन सम्बन्धी विचारधारा

पुरूषों और महिलाओं में अपराध में अन्तर के कारण

पुरूषों की तुलना में महिलाओं में कम अपराध पाये जाने के निम्नलिखित कारण दिये जा सकते है–

लिंगीय भूमिकाओं में विभेद

पुरूष की प्रमुख भूमिका आजीविका कमाना है जिसके लिए उसे अन्य व्यक्तियों से प्रतिस्पर्द्धा में आना पडता है कुछ व्यक्ति इस प्रतिस्पर्द्धा प्रक्रिया में जब अपना लक्ष्य वैध साधनों से प्राप्त नही कर पाते तब वे अवैध साधन अपनाते है जिन्हें हम अपराध कहते है। दूसरी ओर महिला की प्रमुख भूमिका घर की देखभाल व बच्चों के पालन–पोषण की है। यह भूमिका वह घर की चहादीवारी के अन्दर निभाती है।

अवसरों में विभेद

महिलाओं पर पुरूषों की तुलना में घर के बाहर जाने दूसरों के साथ अन्तःक्रिया करने आदि सम्बन्धी अधिक प्रतिबन्ध रहते है जिससे उन्हें अपराध करने का अवसर ही कम मिलता है

समाजीकरण की प्रक्रिया में लिंगीय विभेद

महिलाएँ सामान्यतः धर्मनिष्ठ होती है। उनमें अपनी व अपने परिवार की प्रतिष्ठा कें संरक्षण की भावना अधिक रहती है। सामाजिक तिरस्कार का भय

होने के कारण वे निःशब्द व मौन रूप से अपने कष्ट सहती रहती है तथा सामाजिक मूल्यों का पालन करती रहती है।

शारीरिक क्षमता

महिलाओं में पुरूषों की तुलना में शारीरिक शक्ति कम होती है

उदार रवैया

महिलाओं द्वारा किये गये बहुत से अपराध या तो न्यायालय तक पहुच ही नही पाते या फिर न्यायाधीशों के महिलाओं के प्रति उदार विचारों कें कारण उन्हे दण्ड न देने से भी उनमें अपराधी दर कम मिलती है ओटो पोलाक का भी कहना है कि महिलाओं में पकडने योग्य अपराध की दर इस कारण कम नहीं मिलती है कि वे कानून का उल्लंघन ही कम करती है परन्तु इस कारण कम मिलती है कि जिस प्रकार के वे अपराध करती है उनका पता चलाने की सम्भावना ही कम रहती है यदि वे अपराध पकडे भी जाते है तो वे सम्बद्ध अधिकारियों को रिपोर्ट ही कम होते है और यदि रिपोर्ट भी होते है तो उन्हें पुरूषों की तुलना में दण्डित होने से बचाने के बहुत अवसर मिलते है क्योंकि उनके लिए उदार दोहरा रवैया अपनाया जाता है।

डॉ राम आहूजा ने 213 अपराधी महिलाओं का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में अपराधी महिलाओं के निम्नलिखित सामाजिक–आर्थिक लक्षण पाये गये थे–73 प्रतिषत अपराधी महिलाएँ विवाहित 20 प्रतिशत विधवाएँ थी। अपराध के समय 5 प्रतिशत महिलाएँ बालवत् 16 वर्ष से कम , 53 प्रतिशत तरूण 16 से 30 वर्ष की, 36 प्रतिशत अधेड 30 से 50 वर्ष की तथा 6 प्रतिशत वृद्ध 50 वर्ष से अधिक आयु की थी । 79 प्रतिशत महिलाएँ अशिक्षित थी । इसकें आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा की कमी परिवार में समायोजन सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न करती है जो फिर अपराध के लिए उत्तरदायी स्थिति को जन्म देती है। इसका यह अर्थ भी नही है कि शिक्षित महिलाएँ परिवार में समंजन की समस्याओं का सामना नही करती। वास्तव में शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं कें समायोजन की समस्याएँ अलग–अलग है। अतः महिलाओं में अपराध के कारण को इसी समायोजन एवं असमायोजन प्रकृति के आधार पर देखना होगा। इसके आधार पर यह तो नही कहा जा सकता कि महिलाओ के अपराध का प्रमुख कारण निर्धनता है परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि परिवार में असमायोजन का एक महत्वपूर्ण कारण निर्धनता हो सकती है जो फिर अपराध के लिए उत्तरदायी हो सकती है। 74. 6 प्रतिशत अपराधी महिलाएँ गॉवों की व 25.4 प्रतिशत नगरों की रहने वाली थी। इन ऑकडों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि गॉव अधिक अपराधी महिलाएँ उत्पन्न करते है।

अपराध की प्रकृति

अपराध की प्रकृति की दृष्टि से महिलाओं में हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती, आवारागर्दी, धोखेबाजी, आबकारी आदि सम्बन्धी वे सब अपराध पाये जाते है जो पुरूषों में मिलते है। भारत में अपराधी महिलाओं से सम्बन्धित उपलब्ध ऑकडों से ज्ञात होता है कि उनके 90 प्रतिशत अपराधों में कोई क्षतिग्रस्त व्यक्ति होता है जैसे– हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण आदि तथा 10 प्रतिशत अपराध बिना किसी क्षतिग्रस्त व्यक्ति वाले अपराध होते है इसी प्रकार यह भी ज्ञात होता है। कि उनके 95 प्रतिशत अपराध साधारण होते है इसी प्रकार यदि दोनों देशों में पुरूषों और महिलओं द्वारा किये गये अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाये तो ज्ञात होता है कि अमेरिका में तो पुरूषों और महिलाओं में लिंगीय असमानता का टूटना स्पष्ट होता है परंतु भारत में नही होता। अमेंरिका में लिंगीय कारण अपराध बढ गया है परन्तु भारत में ऐसा नहीं है ऐडलर और साइमन का तो मतह कि यदि अमेंरिका में यह प्रवृत्ति बढती गयी तो महिलाओ में अपराध की दर और स्वरूप पुरूषों के समान हो जायेंगे। जिन हत्या आदि गम्भीर अपराधों कें लिए महिलाओं को आजीवन दण्डादेश व लम्बी कैद मिलती है

अपराधी पत्नी का अन्य किसी पुरूष से अनुचित लिंगीय सम्बन्ध या फिर पति का अन्य स्त्री से अवैध सम्बन्ध था तथा 27 प्रतिशत हतयाओं में पति द्वारा दुर्व्यवहार हत्या का कारण मिला पति के प्राथमिक सम्बन्धियों की हत्या का कारण भी प्रमुख रूप से उनसे संघर्ष व उनका कुव्यवहार मिला। इन सभी हत्याओं में विशेष बात यह मिलती है कि 62.8 प्रतिशत हत्याओं में अपराधी महिला ने विवाह के पॉच वर्षो के अन्दर ही यह अपराध किया था अतः समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि विवाह के पहले पॉच वर्षो में स्त्री के लिए पति के परिवार में समंजन की समस्या कुछ गम्भीर होती है क्या इस पारिवारिक असमायोजन और उससे सम्बन्धित हत्याओं को रोकने का साधन विवाह–विच्छेद हो सकता है क्या यह कहा जा सकता है कि यदि ये महिलाएँ अपने पति से वैवाहिक सम्बन्ध तोड देती तो ये हत्याएँ नही होती कुछ हत्याओं में हो सकता है ऐसा सम्भव होता परंतु सभी हत्याओं के लिए यह मानना उचित नही होगा सन्तान की हत्या के कारणों में अवैध बच्चे का जन्म, देवी–देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए अपने बच्चे की बलि देना, सम्पत्ति से सम्बन्धित संघर्ष, पति से संघर्ष के कारण संवेगात्मक स्थिति में अपने बच्चे की हत्या कर देना, बच्चां से मिलकर आत्महत्या के प्रमुख में स्वंय का बच जाना किन्तु बच्चें का मारा जाना तथा दिमागी कमजोरी मुख्य कारण मिलते है परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या में अवैध सम्बन्धों और दुर्व्यवहार के अलावा कुछ अन्य कारण से मारे गये व्यक्ति द्वारा सतीत्व भंग करने का प्रयास सौत से संघर्ष तथा दहेज आदि को लेकर मारे गये व्यक्ति से विसंवाद पाये जाते है।

चोरी, आबकारी सम्बन्धी व अनैतिक व्यवहार जैसे अपराधों में भी परिवार की भूमिका प्रमुख मिलती है। इनमें निर्धनता अपराध का प्रमुख कारण कदापि नही बतलाया जा सकता। आबकारी सम्बन्धी कुछ अपराधों में महिलाओं को इस कारण दण्डित होना पडा क्योंकि उनकें पति अवैध मद्य निष्कर्षण कें कार्य में लगे हुए थे और वे अपने पति के प्रति निष्ठावान होने के कारण उनकों उनकी आर्थिक क्रियाओं में सहायता करती रहती थी।

अतः पति कें प्रति परम्परागत कर्त्तव्यों व नैतिक सम्बन्धों का पालन करना ही उनकी अपराधी स्थिति का कारण बना चोरी के अपराधों में भी यद्यपि महिलाओं कें पति धनोपार्जन का कार्य करते हुए पाये गये परन्तु उनकी आय इतनी अपर्याप्त थी कि अपनी व परिवार की मूल आवश्यकताओं को पूरा न कर सकने के कारण उनकें जीवन–साथी आदि से सम्बन्धों में तनाव पाये जाते। अपहरण और अनैतिकता के अपराधों में भी धन–लाभ अपराध का उद्देश्य न होकर व्यक्तित्व में सेक्स सम्बन्धी दोष ही इसकें प्रमुख कारण बताये जा सकते है।

अपराध के कारण

महिलाओं में अपराध के कारणों के बारे में बहुत कम सैद्धान्तिक साहित्य मिलता है क्योंकि किसी अपराधशास्त्री ने इसे वैज्ञानिक पर विश्लेषित करने का कोई विशेष प्रयास नही किया था। लाम्ब्रोसो, फ्रायड, थॉमस, किंग्सले डेविस आदि कुछ विद्धानें ने महिलाओं में कुछ जैविकीय लक्षणों की मान्यताओं के आधार पर महिला आपराधिकता को उनके व्यक्तिगत शारीरिक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों कें संदर्भ में समझाने का प्रयास किया था। इन्होंने अपराधी महिलाओं कें शारीरिक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों को व्याधिकीय विकृति व सामान्य से प्रत्यंतर माना था। लाम्ब्रोसो ने पुरूषों में पायें जाने वाले अपराध कें विवरण में पूर्वजोद्भव कें सिद्धान्त में कहा कि महिलाओं में जैविकीय विसंगति के रूप में पूर्वजोद्भव का संकेत नही मिलता। इसके स्थान पर उसने महिलाओं में अपराध का कारण उनकी रूढिवादी प्रवृत्ति बताया। फ्रायड ने भी महिला आपराधिकता में शरीर–क्रिया सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया। उसने महिलाओं में अपराध को उनके पुरूषत्वमन्यता का कारण बताया। उसका कहना था कि सामान्य महिलाएँ तो नारीत्व की सामाजिक परिभाषा को जो मातृत्व के अकेले हित पर केन्द्रित रहती है स्वीकार करती है व उसका अन्तःकारण भी करती है परन्तु अपराध करने वाली महिलाएँ इस हित को स्वीकार नही करती तथा इसके विरूद्ध विद्रोह करती है। किंग्सले डेविस ने भी वेश्यावृत्ति की प्रकार्यात्मक टिप्पणी दी है। उसका कहना है कि वेश्यावृत्ति दो परिस्थितियों में पायी जाती है– जिनमें विवाह के ढॉचें में लिंगीय नवीनता सम्बन्धी मॉग पूरी नही होती या जिनमें पुरूष विकलांग, बदसूरत या नपुंसक होने के कारण अपने जीवन–साथी की लिंगीय मॉगों को पूरा नही कर पाते।

पारिवारिक असमंजन सम्बन्धी विचारधारा

उपर्यक्त बताये गये अपराधी महिलाओं कें अध्ययन के आधार पर महिलाओं में अपराध के कारण सम्बन्धी एक उप–कल्पना है जिसेके अनुसार महिलाओं में अपराध का प्रमुख कारण पारिवारिक असमंजन है। इसकों हम विस्तारपूर्वक निम्नलिखित रूप में समझ सकते है –विवाह के उपरान्त स्त्री को अपने आपकों नये पर्यावरण में समवस्थापन करने एवं नयी भूमिकाएँ अपनाने की दो प्रमुख समस्याओं का सामाना करना पडता है इस समायोजन में उसका स्वयं का व्यक्तित्व तथा पति व अन्य सदस्यों कें विश्वास–मूल्य व धारणाएँ तो महत्वपूर्ण होती है पर साथ में उसें किस प्रकार कें पर्यावरण में स्वयं का समंजन करना होता है इसका भी उतना ही महत्व होता है। दूसरे शब्दों में विवाह के समय स्त्री की परिपक्वता एवं पति के परिवार की संरचना उसके पारिवारिक समंजन में दो मुख्य तत्व होते है। विवाह कें समय स्त्री की परिपक्वता केवल उसकी आयु पर निर्भर करती है क्या उसकी परिपक्वता व आयु इतनी है ि कवह अपनी नई भूमिकाओं को अच्छी तरह समझ सकें और आवश्यकता पडने पर अपने मूल्यों को त्याग कर समझौते द्वारा अपने पति आदि से समायोजन कर सके उपर्युक्त बताये गये परिवार में तनाव व विकृति की परिस्थिति उनके पति व सास–ससुर आदि के अनुत्तरदायी व्यवहार के कारण ही उत्पन्न होती है किन्तु कुछ स्त्रियॉ अपने व्यक्तित्व के लक्षणों के कारण इस तनाव को अधिक अनुभव करती है और कुछ कम जिसमें कुछ इसके समाधान के लिए एक उपाय प्रयोग करती है और कुछ दूसरे अतः पारिवारिक परिस्थिति की दृष्टि से चार प्रकार के परिवारों को महिलाओं के अपराध के लिए उत्तरदायी बताया जा सकता है 1.वे परिवार जिनमें पति–पत्नी में तनावपूर्ण सम्बन्ध मिलते है 2. वे परिवार जिनमें स्त्रियों को प्रथागत, परम्परानिष्ठ कट्टरपन्थी धर्मपरायण व हठधर्मी सास–ससुर का सामना करना पडता है 3. वे परिवार जिनमें पति–पत्नी की आयु में बहुत अन्तर होता है 4. वे न्युक्लीय परिवार जिनमें अन्य रिश्तेदारों से सम्बन्ध बहुत कम होते है तथा जिनमें पति अपने व्यवसाय आदि के कारण अधिक समय घर से अनुपस्थित रहता है।

अपराधी महिलाओं का सुधार

उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए क्या हम यह कह सकते है कि महिला अपराधियों को दण्ड देने व सुधारने के जो हमारे समाज में वर्तमान उपाय मिलते है वे बहुत उपयुक्त व अनुकूल है क्या उनकों जेल या अन्य किसी सुधारात्मक संस्था में कैद रखना उनके मूल्यों को बदल पायेगा क्या इन संस्थाओं में मिलने वाला प्रशिक्षण जेल से छूटने के उपरान्त उनके पुनर्वास में सहायक होगा पूरे राज्य में जिन अपराधी महिलाओं को छः महीने से अधिक कारावास मिलता है उनकों एक ही स्थान पर कैद रखा जाता है जहॉ उनके नातेदार दूरी के कारण उनसे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित नही रख पाते फिर क्या उनको जेलों में कैद करना आवश्यक भी है कारावास में रखने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि अपराधी को समाज के लिए खतरा माना जाता है जिस कारण उसे समाज से पृथक करने के लिए तथा अपने असामाजिक व्यवहार पर विचार कर पश्चाताप करने का अवसर देने हेतु उसे जेल में रखा जाता है क्या यह अपराधी महिलाएँ वास्तव में समाज के लिए खतरा है और उसे हानि पहुचाने की इच्छा रखती है क्योंकि उपर बताये गये कारण उनमें किसी प्रकार के हानि पहुचाने की इच्छा रखती है क्योंकि उपर बताये गये कारण उनमें किसी प्रकार के निहित व स्वाभाविक अपराधी प्रवृत्तियों का उपस्थित होना सिद्ध नही करते क्यों उन्हें लम्बे काल के लिए समाज से पृथक किया जाये अतः क्यों न उन्हे परिवीक्षा व्यवस्था भारत में कानूनी रूप से 1958 से और कुछ राज्यों में उससे भी पूर्व से लागू की हुई मिलती है परन्तु वास्तविकता यह है कि

जो अपराधी परिवीक्षा के लिए योग्य भी होते है उनमें से 8 प्रतिशत से भी कम को परिवीक्षा पर छोडा जाता है फिर वर्तमान नियमों के अनुसार हत्या करने वाले अपराधियों को परिवीक्षा पर छोडने की व्यवस्था नही हैं। क्यों न हम परिवीक्षा अधिनियम मे संशोधन कर एक क्रान्तिकारी उपाय अपनाकर हतया करने वाली महिलाओ जैसे अबोध व अहानिकर अपराधियों को भी परिवीक्षा पर छोडने की व्यवस्था करे। इसका यह तात्पर्य भी नही है कि जेल–व्यवस्था को बिल्कुल ही समाप्त किया जाये तथा किसी भी अपराधी महिला को जेल न भेजा जाये कुछ महिला अपराधियों को समाज से पृथक करके जेल में रखना आवश्यक होता है। परन्तु क्या उसके लिए भी निश्चित दण्ड–अवधि की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त है हम अपराधी को आठ या दस वर्ष क्यो जेल में रखें जब हम जानते है कि जिस उद्देश्य से उनको जेल में रखा गया था वह दो–तीन वर्ष में ही प्राप्त किया गया है क्यों न हम सभी अपराधियों विशेषकर अपराधी महिलाओं के लिए अनिशिचित दण्ड अवधि की व्यवस्था आरम्भ करे जिसमें कैद की अधिकतम व न्यूनतम अवधि तो न्यायालय द्वारा निशिचित होती है किंतु तय अवधि एक कमेटी व पैरोल बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है। वैसे भी पुरूष कैदियों की अपेक्षा महिला बन्दियों को कारावास में कम ही सुविधाएँ मिलती है। जब पुरूष अपराधियों कें लिए आदर्श व खुले जेलो की व्यवस्था मिलती है जिनमें अनेक सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें दण्ड–अवधि में छूट भी अधिक मिलती है महिलाओं के लिए ऐसे कोई विशेष जेल नही मिलते। जिन कारागारों में पुरूष बंदियों के लिए पारिश्रमिक व्यवस्था मिलती है उन सभी में महिला–बन्दियों के लिए ऐसी व्यवस्था या तो होती ही नही या बिना गंभीरता व अनुपेक्षणीयता से लागू की जाती है पुरूष बंदियो के लिए जब किसी–किसी जेल में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु पंचायत व्यवस्था आरम्भ की जाती है महिलाओं के लिए ऐसा कोई साधन नही मिलता फलस्वरूप यह सुझाव दिया जा रहा है कि अपराधी महिलाओं की दण्ड व सुधारने की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। यह परिवर्तन इस कारण भी आवश्यक है क्योंकि कैद के कारण स्त्री की अनुपस्थिति में परिवार को नये समायोजन करने पडते है विशेषकर छोटे बच्चो की देखभाल एवं पति द्वारा जैविकीय मनोवैज्ञानिक व सामाजिक समंजन क्या यह आश्यर्च नही है कि हमें महिला अपराधियों के उन छोटे–छोटे बच्चों को भी जेल में रखना पडता है जिन्होने किसी सामाजिक नियम का उल्लंघ के साथ उनके 39 छोटे बच्चे भी साथ रहते पाये गयें। यह सही है कि समाज इन बालकों को उत्तरदायित्व नही है कि ऐसे बच्चों के रहन–सहन की व्यवस्था करे जिन्हे अपनी कैद माता के साथ रहने के अतिरिक्त अन्य कोई रिश्तेदार या स्थान नही है कितने बच्चों के लिए वास्तविक रूप से ऐसी सुविधा मिलती है शायद 1 प्रतिशत के लिए भी नही ।

निष्कर्ष

जिस परिवार में रहने से महिलाओं को समायोजन की समस्या का सामना करना पडा उसी पर्यावरण में उन्हें परिवीक्षा आदि पर छोडकर सुधारने के लिए कैसे रखा जा सकता है इसका उत्तर यह होगा कि जहॉ सास–ससुर के दुर्व्यवहार के कारण महिला ने अपराध किया वहॉ आवश्यक नही कि उसका पति भी उसके साथ कुव्यवहार करें जहॉ पति से उसे स्नेह व सहानुभूति नही मिली तथा उसने अन्य स्त्री से अवैध सम्बन्ध स्थापित किये हुए है वहॉ आवश्यक नही है कि उसकी स्वयं की सन्तान भी उसे प्यार न दे। अतः परिवार में वापस भेजने से पहले परिवार के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त कर उनको परिवीक्षा पर छोडना अनुचित नही होगा। अन्त में यही कहा जा सकता है कि महिलाओं में अपराध क्योंकि विघटित–व्यक्तित्व के कारण नहीं किन्तु पारिवारिक असमंजन के कारण ही अधिक होते है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन डॉ. जे. पी. सिंह,*
2. *अपराधशास्त्र एवं दंडशास्त्र तथा सामाजिक विघटन (गूगल पुस्तक य लेखक – रामनाथ शर्मा, राजेन्द्र कुमार शर्मा)*
3. *राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो*
4. *National Criminal Justice Reference Service (NCJRS)*
5. *International association of professionals specialized in criminology.*
6. *Criminology Mega-Site — Dr. Tom O'Connor (Associate Professor of Criminal Justice, Austin Peay State University)*
7. *आधुनिक अपराधशास्त्र, डॉ जी एल शर्मा*